



5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियों की जावेगी।
8. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
10. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलग्न दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर **दिनांक 26-06-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न :- आदेश सूची क्र.स. 01

(राहुल कुमार राजपुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली
दिनांक-05.06.2023

क्रमांक: जिशिअ/(मा.)मु/पाली/संस्था/बेसिक कम्प्यू.अनु./2023/157

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. श्रीमान संयुक्त शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली-मण्डल, पाली।
8. शाखा अवधायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त पाली को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके ब्लॉक के संबंधित अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज सत्यापन सेट आज ही इस कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित विद्यालय में पहुंचाने की व्यवस्था करावे।
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि
11. सम्बन्धित आशार्थी।
12. रक्षक पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahul Kumar
Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2023.06.05 15:45:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3981871



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली

क्रमांक: जिशिअ/(मा.)मु/पाली/संस्था/बेसिक कम्प्यूअनु./2023/157

दिनांक-05.06.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में चयनित
अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन आदेश
गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

S.N	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CAT	H CAT	M / F	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5330	NITIN KUMAR	ASHOK KUMAR	18-Aug-91	GEN	--	M	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIRPATIYA (221221)	MJ	

(राहुल कुमार राजपुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahul Kumar
Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2023.06.05 19:45:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3981871



RajKaj Ref No. : 3981871

Signature valid

Digitally signed by Rahul Kumar
Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2023.06.05 15:45:39 IST
Reason: Approved

